रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 27, 1984 (कार्तिक 5, 1906)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27, 1984 (KARTIKA 5, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	789
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1357
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	27
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1757
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	2597
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2936
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें साधारण स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	191
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	343
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	25123
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	891
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	173
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2853
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	167
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	789
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1357
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	27
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1757
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	2597
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities(other than the Administration of Union Territories)	2935
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	191
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	343
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	25123
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	891
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	173
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	2853
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	167
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc, both in English and Hindi ..	*

* Folio No. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1984

सं० 104-प्रेज/84—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद :—

श्री शशिकान्त गनपतराव गुरु,
पुलिस निरीक्षक,
ग्रेटर बम्बई पुलिस बल,
महाराष्ट्र ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

30 सितम्बर, 1983 को अभियुक्त राजन महादेव नायर एक कुख्यात बदमाश को एसप्लेनेड कोर्ट बम्बई में रिमांड के लिए लाया गया था। रिमांड के बाद उसको एक पुलिस कान्स्टेबल द्वारा वापस ले जाया जा रहा था। नौसेना की वर्दी पहने एक डाकू उनका पीछा कर रहा था, उसने अचानक अपना रिवाल्वर निकाला और चार गोलियां चलाई। इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त राजन नायर और कान्स्टेबल गोलियों से घायल हो गए और वे भिन्न-भिन्न दिशाओं में भागे। उसी समय पुलिस कल्ब में अधिकारियों की बैठक में भाग लेने के पश्चात् श्री शशिकान्त गनपतराव गुरु, पुलिस निरीक्षक, कोर्ट के परिसर में अपनी जीप की ओर जा रहे थे। यह देखकर वे सशस्त्र हमलावर की ओर भागे जो अपने रिवाल्वर से श्री गुरु पर गोली चलाने के लिए निशाना साध रहा था। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री गुरु ने निडरता से उस पर आक्रमण किया और हमलावर पर झपटे। उन्होंने अकेले ही अभियुक्त को निःशस्त्र कर दिया और अन्य पुलिस कर्मचारियों की सहायता से उसे आजाद मैदान थाने में लाए। गोलाबारी के परिणामस्वरूप अभियुक्त राजन नायर की अस्पताल में मृत्यु हो गई जबकि उसको संरक्षण में लाने वाला पुलिस कांस्टेबल जीवित बच गया।

श्री शशिकान्त गनपत राव गुरु, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 सितम्बर, 1983, से दिया जाएगा।

सं० 105-प्रेज/84—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :—

श्री घाना कान्ता हाण्डिके, (मरणोपरान्त)
पुलिस निरीक्षक,
डी० ई० एफ०, दारंग,
असम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

2 फरवरी, 1983, को अपराह्न में श्री घाना कान्ता हाण्डिके, पुलिस निरीक्षक, को मालूम हुआ कि असम में मंगलदोई और सिपाझार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गंभीर हिंसक घटना हुई थी। आन्दोलनकारियों द्वारा कई बसों को आग लगा दी गई थी।

सिपाझार पहुंचने पर निरीक्षक हांडिके ने वहां राज्य परिवहन की दो बसों और अनेक निजी कारों को खड़े देखा। उन्होंने खड़े वाहनों को मंगलदोई ले जाने के लिए रक्षक के रूप में उनके साथ जाने की स्वेच्छा प्रकट की तथा सिपाझार से लगभग 16.00 बजे प्रस्थान किया। उनके साथ दो विशेष शाखा उप-निरीक्षक, दो एन० सी० ओ० गनमेन जिनके पास स्टेन गनें थीं और तीन बसों और दो कारों की कानवाई थी। ज्योंहीं कानवाई कुलापनी पुल के पास पहुंची तो हिंसक भीड़ ने फुर्ती से उनको घेर लिया। कानवाई को रोकर निरीक्षक हांडिके कार से नीचे उतरे और भीड़ को रुकने का आदेश दिया। क्योंकि भीड़ आग ही बढ़ रही थी, अतः उन्होंने अपने गनमैनों को हवा में दो राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया। फिर भी भीड़ नहीं रुकी और उनकी ओर बढ़ती रही तथा एक गनमेन को काबू में कर लिया। स्थिति को काबू से बाहर पाकर निरीक्षक हांडिके ने तुरन्त अपना रिवाल्वर निकाला और भीड़ पर सब की सब छः राउंड गोलियां चला दी। इससे भीड़ कुछ समय के लिए तितर बितर हो गई। तब उन्होंने विशेष शाखा उप-निरीक्षक का रिवाल्वर मांग लिया। उन्होंने बस की खिड़की में से मुश्किल से केवल दो राउंड गोलियां चलाई थी कि भीड़ उमड़ कर अन्दर घुस आई और उनको पकड़ कर बाहर ले आई तथा दोनों रिवाल्वर छीन लिए। उनके सिर पर एक दांव का भीषण प्रहार किया गया जिससे वे घटनास्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए।

श्री घाना कान्ता हांडिके, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 फरवरी, 1983, से दिया जाएगा।

सं० 106-प्रेज/84—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :—

श्री सुरजीत सिंह, (मरणोपरान्त)
हेड कांस्टेबल नं० 353,
82वीं बटालियन,
पंजाब सशस्त्र पुलिस,
बहावुरगढ़ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

अमृतसर जिले में खादुर साहिब क्षेत्र से विधायक श्री लखा सिंह का नाम उग्रवादियों की हिट लिस्ट में था। उन्हें सुरक्षा के लिए गनमेन के रूप में हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह उपलब्ध कराया गया था। 2 मई, 1984, को श्री लखा सिंह अपने रिश्तेदार श्री चंचल के साथ, अपने गनमेन हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। लगभग 7.30 बजे सायं, जब वे कार की तरफ जा रहे थे तो पांच उग्रवादी जो स्टेनगन और पिस्तौलों से लैस थे, घटनास्थल पर प्रकट हुए और उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप श्री चंचल सिंह घटनास्थल

पर मारे गए। एक गोली श्री सुरजीत सिंह के पेट में लगी। अकेले होने के बाद भी श्री सुरजीत सिंह ने सूझबूझ दिखायी और खेतों में ऊंचे उठे एक टीले के पीछे मोर्चा संभाला और उग्रवादियों पर गोलीबारी करनी आरम्भ कर दी एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और दूसरो ने भागना शुरू कर दिया उन्होंने भागते हुए उग्रवादियो पर गोली चलाना जारी रखा और एक और उग्रवादी को गोली से मारने में सफल हो गए। उन्होंने दूसरे उग्रवादी को भी गोली मारी जिसे वो उग्रवादी उठा कर ले गए। जब पुलिस कुमुक घटनास्थल पर पहुंची तो श्री सुरजीत सिंह के शरीर से बहुत अधिक खून बह रहा था। उन्हें तुरन्त अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी 4 मई, 1984, को मृत्यु हो गयी।

हेड कांस्टेबल श्री सुरजीत सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 मई, 1984, से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्तूबर 1984

सं० 13019/1/84-जी० पी०-II—इस मंत्रालय की तारीख 9 जून, 1983 की अधिसूचना सं० 13019/3/83-जी० पी०-II के क्रम में राष्ट्रपति चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र की गृह मंत्री की परामर्शदात्री समिति की अवधि तारीख 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक एक वर्ष के लिए और बढ़ाते हैं। जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. मुख्य आयुक्त
   चण्डीगढ़ प्रशासन।
2. वाइस-चान्सलर,
   पंजाब यूनिवर्सिटी।
3. श्री भोपाल सिंह
4. श्री दौलत राम शर्मा
5. श्री रोशन लाल बट्ट
6. श्री रामस्वरूप शर्मा
7. श्री राजपाल सिंह
8. श्री भाग सिंह सज्जन
9. श्रीमती आर० एन० डोगरा
10. श्री अमरजीत सिंह सरन
11. श्री चमन लाल शर्मा, एडवोकेट
12. श्री बृजमोहन सिंह
13. श्री आर० के० साबू
14. श्रीमती निहाल कौर
15. डा० सुरिन्दर सिंह
16. मेजर जनरल अवतार सिंह,
    (सेवानिवृत्त)
17. श्री मोहिन्दर एस० मलिक
18. बी० बी० बहल
19. श्री हरभजन सिंह,
    अध्यक्ष, पिछड़ी जातियां
20. श्रीमती हरफूल सिंह बरार
21. श्री टी० एल० सतीजा
22. श्री अमरजीत सिंह सेठी
23. श्री चरनजीत सिंह

बालेश्वर राय
उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1984

सं० 38/पीए-11/84 दिनांक 25 नवंबर, 1982 की अधिसूचना सं० 38/पीए-11/82 के संदर्भ में राष्ट्रपति श्री प्यारे लाल की भारतीय विदेश सेवा (ख) के वर्ग में पदोन्नति (दिनांक 25-11-1982 की उक्त अधिसूचना के पैरा 1 की क्रम सं० 54 को रद्द करते हैं।

2. इसके परिणामस्वरूप 25 नवंबर, 1982 की उक्त अधिसूचना के पैरा 2 की क्रम सं० 4 पर श्री प्यार लाल का नाम काट दिया जाए।

3. 25 नवंबर, 1982 की उक्त अधिसूचना की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

विवेक काटजू, उप सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1984

संकल्प

सं० 07011/3/84-साल्ट—नमक के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० 07011/3/84-साल्ट, दिनांक 1 अगस्त, 1984 के क्रम में भारत सरकार ने नमक के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित संसद सदस्यों को नामित करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री के० टी० कोसल राम,
   संसद सदस्य (लोक सभा)
2. श्री ए० टी० पाटिल,
   संसद सदस्य (लोक सभा)
3. श्री बी० राजगोपाल राव,
   संसद सदस्य (लोक सभा)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयो, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधान मंत्री के कार्यालय को भेज दिया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए।

जी० वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1984

सं० सी० पी० /पैनल/84—भारत के 17 सितम्बर, 1983 के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित दिनांक 27 अगस्त, 1983 के संकल्प सं० सी० पी० /पैनल/79-83 के तहत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रेफाइट और कार्बन उत्पाद उद्योग के लिए विकास नामिक का पुनर्गठन किया है। अब इसमें भाभा आण्विक अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई में वैज्ञानिक, श्री केशव चन्द्र को नामिका के सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

के० सी० जंजवाल, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 29 सितम्बर 1984

संकल्प

सं० डी० डब्ल्यू० आई०–64(84)/डब्ल्यू० पी०—इस संकल्प सं० डी० डब्ल्यू० आई०–64(84)/डब्ल्यू० पी० दिनांक 27 मार्च, 1984 तथा संकल्प सं० डी० डब्ल्यू० आई०–64(84)/डब्ल्यू० पी० दिनांक 7 जुलाई, 1984 के क्रम में, भारत सरकार ने काष्ठ उद्योगों की नामिका में निम्नलिखित और व्यक्तियों को प्रथम संकल्प के जारी होने की तिथि 27 मार्च, 1984 से दो वर्ष की अवधि तक के लिए शामिल करने का निर्णय किया है :—

1. श्री पी० आर० मल्लम,
   निदेशक,
   औद्योगिक विकास विभाग,
   उद्योग मंत्रालय,
   मौलाना आजाद रोड,
   उद्योग भवन,
   नई दिल्ली।
2. श्री पी० के० आना,
   कार्यकारी निदेशक,
   रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात-संवर्धन परिषद् (सी० ए० पी० ई० एक्स० आई० एल०),
   विश्व व्यापारी केन्द्र,
   14/1–बी, एजरा स्ट्रीट,
   कलकत्ता–700001।
3. श्री जे० एस० मचाक,
   एम० 39–बी,
   प्रथम तल,
   राजोरी गार्डेन,
   नई दिल्ली–110027।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० गंजवाल,
निदेशक (प्रशासन)

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर, 1984

सं० एफ० 7–6/84–सी० एच० –3—केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के पिछले शासी बोर्ड की अवधि समाप्त होने पर भारत सरकार ने संस्थान की नियमावली और उपविधि के नियम 7 के अन्तर्गत 25 जून, 1984 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार है :—

1. डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन, — अध्यक्ष
   अपर सचिव,
   संस्कृति विभाग,
   नई दिल्ली।
2. वेन. कामतुल आवयंग डोनडुप, — सदस्य
   सामान्य सचिव,
   परम पावन दलाई लामा की धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य परिषद्,
   गंगचेन, काइयोंग,
   धर्मशाला, कांगड़ा,
   हिमाचल प्रदेश।
3. डा० राम शंकर त्रिपाठी, — सदस्य
   विभागाध्यक्ष,
   बुद्ध दर्शन,
   सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
   वाराणसी,
   उत्तर प्रदेश।
4. श्री एस० पी० दुली, — सदस्य
   उप वित्तीय सलाहकार,
   शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय,
   नई दिल्ली।
5. श्री पी० के० बुधवर, — सदस्य
   संयुक्त सचिव
   (पूर्वी एशिया),
   विदेश मंत्रालय,
   नई दिल्ली।
6. प्रोफेसर जी० सी० पांडेय, — सदस्य
   11, बलरामपुर हाउस,
   इलाहाबाद–2।
7. प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, — सदस्य
   ए–43–ए, डी० डी० ए० फ्लैट्स,
   मुनिरका, नई दिल्ली–110067।
8. प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय, — सदस्य
   सी–27/61, जगतगंज,
   वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
9. डा० (श्रीमती) राधा बरनियर, — सदस्य
   अध्यक्ष,
   थियोसोफिकल सोसाइटी,
   अडयार, मद्रास–600020।
10. प्रो० दयाकृष्ण, — सदस्य
    निदेशक,
    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
    विशेष सहायता कार्यक्रम,
    दर्शन शास्त्र विभाग,
    राजस्थान विश्वविद्यालय,
    जयपुर–202004।
11. डा० के० एन० मिश्र, — सदस्य
    संस्कृत रीडर,
    केन्द्रीय उच्च तिब्बती
    शिक्षा संस्थान,
    सारनाथ, वाराणसी।
12. प्रोफेसर एल० एम० जोशी, — सदस्य
    अनुसन्धान प्रोफेसर,
    केन्द्रीय उच्च तिब्बती,
    शिक्षा संस्थान,
    सारनाथ वाराणसी।
13. प्रोफेसर एस० रिनपोचे, — सदस्य-सचिव
    प्रधानाध्यापक,
    केन्द्रीय उच्च तिब्बती,
    शिक्षा संस्थान,
    सारनाथ, वाराणसी।

सी० एल० आनन्द,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार

खेल विभाग

राष्ट्रीय खेल नीति पर संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1984

सं० एफ० 1-1/83-डी०-1(एस० पी०)—खेलों तथा शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों को अच्छे स्वास्थ्य के शारीरिक उपयुक्तता की उच्च श्रेणी, व्यक्तिगत उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए तथा लाभप्रद मनोरंजन, सामाजिक मेल-मिलाप बढ़ाने तथा अनुशासन द्वारा उसके मूल्यों को भी अच्छी तरह माना गया है । अतः आयु और लिंग भेद न करते हुए, खेल-कूद और मनोरंजन कार्यकलापों में प्रत्येक नागरिक द्वारा भाग लिए जाने की आवश्यकता को समान रूप में माना गया है । खेल-कूद में राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता को भी माना गया है ताकि हमारे खिलाड़ी (स्त्री-पुरुष) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं मे अपना प्रशंसनीय कर्तव्य निभा सकें । इसीलिए केन्द्र और राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे खेलों और शारीरिक शिक्षा के बहुमुखी विकास की प्रक्रिया के लिए उसे बहुत उच्च प्राथमिकता प्रदान करें। उन्हें आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थापन और जनता में खेल जागरूकता पैदा करके परम्परागत और आधुनिक खेलो और योगा का भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा और विकास करना चाहिए ताकि उनके नियमित तौर पर खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यकलापो में भाग लेने से एक अच्छे उपयुक्त और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सके ।

2. भारत सरकार को इस बात से प्रसन्नता है कि उपरोक्त सिद्धांतों और अनुवर्ती नीति विवरणो को राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त है । तदनुसार भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि देश में निम्न प्रकार से खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया जाए :—

(1) गावों और नगरों में अवस्थापना—व्यापक स्तर पर खेलो और शारीरिक शिक्षा के विकास का कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नही हो सकता जब तक कि गांवों और नगरों में आम जनता औद्योगिक मजदूरो और शैक्षणिक संस्थानों के लिए समान रूप से खेलों की न्यूनतम सुविधाएं, जैसे कि खेल के मैदान, इन्डोर हाल, तरणताल इत्यादि उपलब्ध नही कराई जाती । अतः इस प्रकार की सुविधाएं चरणो मे उपलब्ध कराई जाएं ताकि यथा समय मे ये सारे देश मे उपलब्ध हो जाएं । केवल तभी अधिक जनता द्वारा खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यकलापो में भाग लेने के मूलभूत उद्देश्य को प्राप्त कर लेना सम्भव हो सकेगा । केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है ।

(2) खेल मैदानो और खुले स्थानो को सुरक्षित रखना —केन्द्र और राज्य सरकारो को यदि आवश्यकता पड़े तो उपयुक्त कानून द्वारा गांवो और शहरी क्षेत्रों मे मौजूदा खेल मैदानो और स्टेडियमो को खेल प्रयोजनार्थ सुरक्षित रखने तथा खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मौजूदा खुले स्थान उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए ।

(3) पोषण—बड़े पैमाने पर जनसंख्या के पोषण के स्तर को सुधारने की आवश्यकता को पहले से ही माना गया है । इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि खिलाड़ियों (स्त्री-पुरुष) को दी जाने वाली खुराक में, विभिन्न खेलों, जिनमें वे भाग ले रहे हैं, की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पौष्टिक मात्रा हो ।

(4) प्रतिभाशालियों का पता लगाना—जो खेलों के विकास से सम्बन्धित हैं, उन्हें कम उम्र के खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाकर उन्हें प्रशिक्षित करने के सभी प्रयास करने चाहिए ताकि उनकी पूरी क्षमता साकार हो सके ।

(5) शैक्षणिक संस्थाओं मे खेल और शारीरिक शिक्षा —स्कूलों और अन्य ऐसी ही शैक्षणिक संस्थाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को नियमित विषय के रूप मे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए । विश्वविद्यालयों, कालेजों और डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं में भी खेल कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अधिक बल देना चाहिए ।

(6) खेल संस्थाएं —खेल विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल और छात्रावास जैसी संस्थाए, जो अपनी पूरी क्षमता से खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाने, प्रशिक्षण और विकास पर विशेष बल देती हैं, को स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए । इन संस्थाओं के अपने खेल तथा शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल के अलावा सामान्य शिक्षा उनके पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अग होना चाहिए ।

(7) प्रोत्साहन —ऐसे खिलाड़ी जो खेलो में श्रेष्ठ हैं उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए ।

(8) रोजगार के लिए विशेष ध्यान—ऐसे खिलाड़ी जो खेलों में श्रेष्ठ हैं उन्हें स्वयं रोजगार सहित रोजगार देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

(9) स्वैच्छिक प्रयास —दोनो खेल प्रतियोगिताओं तथा खेल कार्यकलापों में बड़ी मात्रा में भाग लेने के लिए खेलों को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक प्रयास को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । अतः यह आवश्यक है कि भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, राष्ट्रीय खेल संघ, खेल क्लब तथा अन्य ऐसी स्वैच्छिक निकायों के सहयोग को इस प्रयास में सम्मिलित किया जाए ।

(10) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं—भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल संघों की प्रतियोगी खेलों के सम्बन्ध में विशेष जिम्मेदारी है । उन्हें राष्ट्र के गौरव को ध्यान में रखकर एकीकृत और संसक्तिशील छवि प्रदर्शित करनी चाहिए । जब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीमें भाग लेती है तो उनका उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है । अतः ऐसे संघों को नियमित रूप से राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने हेतु प्रभावी योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा इस प्रयोजनार्थ खिलाड़ियों के उचित चयन शारीरिक उपयोगिता और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के नियम में कोई ऐसा परिवर्तन करने पर विरोध भी करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप खेल के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन होने से किसी देश विशेष अथवा देशों के समूह की खेल क्षमता अथवा उसके तरीके को कोई क्षति पहुँचती है ।

(11) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन —राष्ट्रीय टीमो को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सभी विदेशो में भेजना चाहिए जबकि उन्होंने शारीरिक अनुकूलन प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लिए हो । विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने अथवा देश में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने के समय देश की राजनयिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ।

(12) प्रतियोगी खेलों में प्राथमिकता —प्रतियोगी खेलों को प्रोत्साहन देते समय निम्नलिखित को प्राथमिकता देनी चाहिए :—

(क) ओलम्पिक, एशियाई खेल तथा राष्ट्रमण्डलीय खेलों के लिए मान्यता प्राप्त खेल विषय; और

(ख) ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल जिनके लिए विश्व संघ विद्यमान हो और जिसे शतरंज की तरह ही भारत में बड़े पैमाने पर खेला जाता है ।

(13) उपयुक्त उपस्कर—देश में खेल सामग्री के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वह खेलों में प्रयोग के लिए उचित मूल्य पर अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्तर के उपस्करों का निर्माण और उपलब्ध करा सकें । जब तक देशीय खेल सामग्री उद्योग ऐसे उपस्कर निर्मित करने में असमर्थ हैं, तब तक, खेल प्रतियोगिताओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अपेक्षित उपस्करों को निःशुल्क सीमा शुल्क से आयात करके उपलब्ध कराने चाहिए ।

(14) गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा खेल तथा शारीरिक शिक्षा का विकास—केवल सरकार ही अपेक्षित बड़े पैमाने पर खेल तथा शारीरिक शिक्षा को विकसित तथा बढ़ावा नहीं दे सकती । वित्त, अवस्थापन तथा आयोजन के मामले में गैर सरकारी संस्था चाहे वे सरकारी अथवा निजी हों, द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेने और समर्थन देने को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

(15) अनुसन्धान और विकास —खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में दोनों निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुसन्धान और विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । इस सन्दर्भ में विशेष तौर पर देश में खेल विज्ञान के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(16) जन संचार का प्रयोग—देश में खेल जागरूकता का प्रचार करने तथा उसे बनाए रखने में जन संचार का प्रभावी तौर पर प्रयोग करना चाहिए ।

3. इस खेल नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बड़ी मात्रा में अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता पड़ेगी । खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के विकास में लगाई गई पूंजी मानो स्वास्थ्य, उपयुक्तता, उत्पादकता और लोगों के सामाजिक कल्याण में लगाई गई पूंजी है जो वस्तुतः हमारे विकास के लिए हमारी जन शक्ति को बढ़ाने के लिए है । अतः खेलों और शारीरिक शिक्षा में ऐसी निवेश को पर्याप्त रूप में बढ़ाना चाहिए।

4. भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ, प्रत्येक पांच वर्षों में, इस राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा करेगी और ऐसी समीक्षा के परिणाम स्वरूप अपेक्षित आगे की कार्यवाही हेतु सुझाव देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए और सभी सम्बन्धित को इस सम्बन्ध में सूचित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासकों को भेज दी जाए ।

एस० के० चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1984

शुद्धिपत्र

विषय :—महानदी आफरेशन के अपतटीय उत्तर-पूर्वी तट विस्तार और खाड़ी अन्वेषण परियोजना के 16,200 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए आयल इन्डिया लिमिटेड को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ०-12012/33/83-उत्पादन—आदेश सं० ओ०-12012/33/83-उत्पादन दिनांक 4 सितम्बर, 1984 का भाग (ङ०) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित करें ।

"(ङ०) आयल इण्डिया लिमिटेड ने प्रतिभूति निपेक्ष के रूप में 1,29,600 रुपए की धनराशि जमा की है जैसा कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 कि अनुसार आवश्यक है ।"

दिनांक 8 अक्तूबर 1984

आदेश

विषय—बी-178 संरचना के 32.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (अपतटीय) के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ० 12012/17/84-ओ एन बी (बी-IV)—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (I) की द्वारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गस आयोग, तेल भवन देहरादून जिसको इसके बाद आयोग कहा जायेगा के बी-178 संरचना के 32.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (अपतटीय) में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 27-3-1984 से 4 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति देती है ।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गये हैं । लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायगी :—

(i) समस्त अंशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अंशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेज गा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ.) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी सगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी ।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300रु० ।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को सकल परिचालनों व्यक्षन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल खान (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग व्यक्षन/अन्वेषण कार्य/सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किये गये वैज्ञानीतिक, भौतल नमूनों, प्रवाह तथा चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप में रक्षा मन्त्रालय/नौसेना मुख्यालय को भेजेगा।

अनुसूची "क"

बी-178 संरचना के भौगोलिक निर्देशांकों के ब्यौरे

स्थान	रेखांश	अक्षांश
"ए"	72° 10' 25.42"	19° 3' 34.97"
"बी"	72° 10' 50.85"	19° 1' 39.47"
"सी"	72° 7' 49.49"	18° 56' 58.72"
"डी"	72° 6' 24.75"	18° 58' 1.28"

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग हेड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

बी-139 संरचना क्षेत्रफल 32.67 वर्ग किलो मीटर।

वाह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हेड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लीटरों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटा-कर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री——————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर——————————

(भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर)

आदेश

विषयः—रत्नागिरी—आर—18 संरचना के 10 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र (लगभग) के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ-12012/30/84 ओ० एम० जी० (डी० 4)—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसको इसके बाद आयोग कहा जायेगा) के रत्नागिरी—आर—18 संरचना के 10 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र (लगभग) में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 23—2—1983 से 11—3—1983 वर्ष अवधि के लिए स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायगी :

(i) समस्त अंशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में यह दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम विभाग नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अंशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाते हुआ एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा :

(ङ) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी गणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रु०।

(च) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(छ) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(ज) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(झ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ञ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ट) आयोग व्यधन/अन्वेषण कार्य/सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किये गये बैथीमीट्रिक, नौतल नमूनों, प्रवाह तथा चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप में रक्षा मंत्रालय/नौसेना मुख्यालय को भेजेगा।

अनुसूची—5

आर-18 संरचना के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भौगोलिक निर्देशांक

रेखांश		अक्षांश
"ए"	72° 52′ 35.24″	17° 7′ 52″
"बी"	72° 54′ 20.14″	17° 7′ 52″
"सी"	72° 54′ 20.14″	17° 6′ 12″
"[illegible]"	72° 52′ 35.24″	17° 6′ 12″

अनुसूची "ख"

अंशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण।

रत्नागिरी–आर–18 संरचना के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर (लगभग)

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की सं०	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लीटरों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग–प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री———————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर———————————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर, 1984

संकल्प

स० हिन्दी/समिति/83/38/5—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 14-8-1984 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति में संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि के रूप में नामित भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री योगेन्द्र शर्मा और गणपत हीरालाल भगत के स्थान पर एतद्द्वारा सर्वश्री श्रीकान्त वर्मा ससद सदस्य, (राज्य सभा), 4, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली और अरविन्द घोष, ससद सदस्य (राज्य सभा), 99 मार्च एवेन्यू, नयी दिल्ली को रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति में संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य नामित किया जाता है ।

उपर्युक्त संकल्प के पैरा 2 में उल्लिखित श्रीमती वीना दुग्गल के स्थान पर श्री प्रभात शास्त्री, प्रधान सचिव, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद को रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है ।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 3-10-1983 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत क्रमांक 31 पर उल्लिखित सदस्य श्री राजेन्द्र माथुर सम्पादक, नवभारत टाइम्स, नयी दिल्ली, जिन्होंने व्यस्तता के कारण समिति में अपनी सदस्यता जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की है, के स्थान पर श्री योगेन्द्र शर्मा, भूतपूर्व ससद सदस्य, बा०-16 पत्रकार नगर, कंकड़ बाग, पटना को रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोकसभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

अजय जोहरी
सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 11th October 1984

No. 104-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri Shashikant Ganpatrao Guru,
Inspector of Police,
Greater Bombay Police Force,
Maharashtra.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 30th September, 1983, accused Rajan Mahadeo Nair, a notorious bad character, was brought for remand in the Esplanade Court, Bombay. After his remand, he was being escorted back by a Police Constable. A gangster who was following them in Naval uniform, suddenly took out his revolver and fired four shots. As a result, accused Rajan Nair and the Constable sustained bullet injuries and ran in different directions. Just then, after attending officers meeting at the Police Club, Shri Shashikant Ganpatrao Guru, Police Inspector, was proceeding towards his jeep in the court premises. On seeing this, he rushed towards the armed assailant, who aimed to fire at Shri Guru with his revolver. Without caring for his personal safety, Shri Guru charged at him fearlessly and pounced upon the assailant. He managed to disarm the accused single handedly and brought him to Azad Maidan Police Station with the assistance of other Police Staff. As a result of the firing, accused Rajan Nair died in the Hospital while the Police Constable escorting him survived.

Shri Shashikant Ganpatrao Guru, Inspector of Police, exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th September, 1983.

No. 105-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ghana Kanta Handique, (Posthumous)
Inspector of Police,
Distt. Executive Force, Darrang,
Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded

In the afternoon of the 2nd February, 1983, Shri Ghana Kanta Handique, Inspector of Police, came to know that a serious violent incident had taken place on the National Highway between Mangaldoi and Sipajhar in Assam. Several buses were set on fire by the agitators.

On reaching Sipajhar, Inspector Handique found that two State Transport buses and a number of private cars were stranded there. He volunteered to escort the stranded vehicles to Mangaldoi and left Sipajhar at about 1600 hrs. with two Special Branch Sub-Inspectors, two NCO gunmen with sten-guns and a convoy of three buses and two cars. As soon as the convoy reached near Kulapani bridge, a violent mob swiftly surrounded them. Halting the convoy, Inspector Handique stepped out of the car and ordered the mob to stop. As the mob was still advancing, he ordered the gunmen to fire two rounds each in the air. The mob, however, did not stop and continued to advance towards them and over-powered one gunmen. Finding the situation out of control, Inspector Handique immediately took out his revolver and fired all the six rounds into the mob. This dispersed the mob for a time. He then borrowed the revolver of the Special Branch Sub-Inspector but he could hardly fire two more rounds through the bus window, when the mob swarmed over him and bodily carried him out snatching both the revolvers. A wild swing of a dao hit him on the head killing him on the spot.

Shri Ghana Kanta Handique, Inspector of Police, thus exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd February, 1983.

No. 106-Pres|84.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the officer

Shri Surjit Singh, (Posthumous)
Head Constable No. 353,
82 Bn. Punjab Armed Police,
Bahadurgarh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

Shri Lakha Singh, M.L.A., from Khadur Sahib Constituency in Amritsar District, was on hit list of the extremists. He was provided with Head Constable Surjit Singh as his gunman for security. On the 2nd May, 1984, Shri Lakha Singh was getting ready to leave for his house accompanied by one of his

relations Shri Chanchal Singh alongwith his gunman Head Constable Surjit Singh. At about 7.30 p.m., when they were heading towards the car, five extremists, armed with sten-guns and pistols, appeared on the spot and started firing. As a result Shri Chanchal Singh died on the spot. One bullet hit Shri Surjit Singh in his abdomen. Despite the injuries sustained by him, Shri Surjit Singh showed presence of mind and took position behind a raised ground in the fields and started firing on the extremists. One of the extremists was shot dead on the spot by him while the others started fleeing away. He continued firing on the fleeing extremists and was able to shot dead one more extremists. He also hit another extremist who was carried away by the two surviving extremists. When the Police re-inforcement reached the spot, Shri Surjit Singh was bleeding profusely. He was immediately removed to the hospital where he died on the 4th May, 1984.

Shri Surjit Singh, Head Constable, exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd May, 1984.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 5th October 1984

No. 13019|1|84-GP.II.—In continuation of this Ministry's notification No. 13019|3|83-GP.II dated 0-6-1983, the President is pleased to continue the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Chandigarh for a further period of one year from 1-4-1984 to 31-3-1985 with the following members :—

1. Chief Commissioner, Chandigarh Administration.
2. Vice-Chancellor, Punjab University.
3. Shri Bhopal Singh.
4. Shri Daulat Ram Sharma.
5. Shri Roshan Lal Batta.
6. Shri Ram Sarup Sharma.
7. Shri Rajpal Singh.
8. Shri Bhag Singh Sajjan.
9. Smt. R. N. Dogra.
10. Shri Amarjit Singh Sarna.
11. Shri Chaman Lal Sharma, Advocate.
12. Brig. Manmohan Singh.
13. Shri R. K. Saboo.
14. Smt. Nihal Kaur.
15. Drk. Surinder Singh.
16. Maj. General Avtar Singh (Retd.).
17. Shri Mohinder S. Malik.
18. Shri B. B. Behal.
19. Shri Harbhajan Singh, President Backward Classes.
20. Mrs. Harphool Singh Brar.
21. Shri T. L. Satija.
22. Shri Amarjit Singh Sethi.
23. Shri Charanjit Singh.

BALESHWAR RAI, Dy. Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd August 1984

No. 38|PA-II|84.—With reference to Notification No. 38|PA-II|82 dated 25th November, 1982 the President is pelased to cancel the promotion to Grade I of IFS(B) of Shri Piare Lall (at Sl. No. 5 of para 1 of the said notification of 25-11-1982).

2. Consequently, Shri Piare Lall's name at Sl. No. 4 of para 2 also stands deteted from para 2 of the said notification of 25th November, 1982.

3. The other terms and conditions of the said notification of 25th November, 1982 remain unchanged.

VIVEK KATJU, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th September 1984

RESOLUTION

No. 07011|3|84-Salt.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 07011|3|84-Salt dated 1st August, 1984 reconstituting the Central Advisory Board for Salt the Government of India have decided to nominate the following Members of Parliament to the Central Advisory Board for Salt :—

1. Shri K. T. Kosalram, M.P. (Lok Sabha).
2. Shri A. T. Patil, M.P. (Lok Sobha).
3. Shri B. Rajagopal Rao, M. P. (Lok Sabha).

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments, All Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Office.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section I,

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 8th October 1984

RESOLUTION

No. CP|Panel|84.—Vidt Resolution No. CP|Panel|79-83 Dt. 27-8-1983 which was published in Part I, Section I of Gazette of India Dt. 17-9-1983 Government has reconstituted the Development Panel for Graphite & Carbon Products Indutsry for a period of 2 years from the date of issue of Resolution. It has now been decided to include the name of Shri Keshava Chandra, Scientists, Bhabha Atomic Research Centre, Bombay, as a member of the Panel.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

The 29th September 1984

RESOLUTION

No. DWI-64(84)|WP.—In continuation of Resolution No. DWI-64(84)|WP dated 27-3-1984 and Resolution No. DWI-64(84)|WP dated 7th July, 1984, Government of India have decided to include the following additional persons in the Development Panel for Wood-based Industries for a period of two years from the date of issue of the first Resolution dated 27-3-1984 :—

1. Shri P. R. Chandran,

   Director,
   Department of Industrial Development,
   Ministry of Industry,
   Maulana Azad Road,
   Udyog Bhavan,
   New Delhi.

2. Shri P. K. Jana,
Executive Director,
Chemicals & Allitd Products Export
Promotion Council (CAPEXIL),
World Trade Centre,
14|1-B, Ezra Street,
Calcutta-700 001.

3. Shri J. S. Matharu,
M-39, Ist Floor,
Rajauri Garden,
New Delhi-110 027.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that tht Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE
(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 11th September 1984

No. F.7-6|84-CH-3.—On the expiry of the term of the previous Board of Governors of the Central Institute of Higher Tibetan Studits, Sarnath, Varanasi, the Government of India have re-constituted the Board under Rule 7 of the Rules and Bye-Laws of the Institute for a period of 3 years w.e.f. 25-6-1984. The composition of the re-constituted Board is as under :—

1. Dr. (Mrs.) Kapila Vatsyayan, Chairperson
Additional Secretary,
Department of Culture,
New Delhi.

2. Ven. Khamtul Jamyang Dhondop, Member
General Secretary,
Council of Religious & Cultural,
Affairs of His Holiness,
The Dalai Lama, Gangchen Kyishong,
Dharamsala, Kangra, H.P.

3. Dr. Ram Shankar Tripathi, Member
Head of Department,
Baudh Darshan,
Sampurananand Sanskrit Vishwavidyalaya,
Varanasi, U.P.

4. Shri S. P. Tuli, Member
Deputy Financial Adviser,
Ministry of Education and Culture,
New Delhi.

5. Shri P. K. Budhwar, Member
Joint Secretary (East Asia),
Ministry of External Affairs,
New Delhi.

6. Prof. G. C. Pande, Member
11, Balrampur House,
Allahabad-2.

7. Prof. Raja Ram Shastri, Member
A 43-A, D.D.A. Flats,
Munirka, New Delhi-110 067.

8. Prof. Jagannath Upadhyay, Member
C-27|61, Jagatganj,
Varanasi, U.P.

9. Dr. (Mrs.) Radha Burnier, Member
President,
The Theosophical Society,
Adyar, Madras-600 020.

10. Prof. Daya Krishna,
Director,
U.G.C. Special Assistance Programme,
Department of Philosophy,
Rajasthan University,
Jaipur-302 004.

11. Dr. K. N. Mishra, Member
Reader in Sanskrit,
Central Institute of Higher,
Tibetan Studies,
Sarnath, Varanasi.

12. Prof. L. M. Joshi, Member
Research Professor,
Central Institute of Higher,
Tibetan Studies,
Sarnath, Varanasi.

13. Prof. S. Rinpoche,
Principal,
Central Institute of Higher,
Tibetan Studies,
Sarnath, Varanasi.

C. L. ANAND, Jt. Educational Adviser

DEPARTMENT OF SPORTS

The 21st August 1984

Resolution on National Sports Policy

No. F.1-1|83-D.I(SP).—The importance of participation in sports and physical education activities for good health, a high degree of physical fitness, increase in individual productivity and also its value as a means of beneficial recreation promoting social harmony and discipline is well established. The need of every citizen, irrespective of age and sex, to participate in and enjoy games, sports and recreational activities is, therefore, hereby recognized. The necessity of raising the national standards in games and sports so that our sportsmen and women acquit themselves creditably in international sports competitions is equally recognised. It is the duty of the Central and State Governments, therefore, to accord to sports and physical education a very high priority in the process of all round development. They should promote and develop traditional and modern games and sports, and also yoga, by providing he necessary facilities and infrastructure on a large scale and by inculcating sports consciousness among the masses, so that by their regular participation in sports and physical education activities, the nation is made healthy fit and strong.

2. The Government of India are happy to note that the principles stated above and the policy statements which follow tnjoy the support of the State Governments. The Government of India, accordingly, resolve that promotion of sports and physical education in the country be undertaken in the following manner :—

(i) *Infrastructure in Villages and Towns.*—No programme of promotion of sports and physical education on a large scale can succeed unless the minimum sports facilities such as playfields, indoor halls, swimming pools etc., are provided in the villages and towns, alike for the general public, industrial workers and in educational institutions. Such facilities should, therefore, be provided in a phased manner so as to cover the entire country in course of time. Only then it would be possible to fulfil the basic object of mass participation in sports and physical education activities. A time-bound programme needs to be drawn up for purpose by the Central and State Government.

(ii) *Preservation of Play-Fields and open Spaces.*—The Central and State Governments should make efforts to ensure, if necessary by suitable legislation, that existing play-selds and stadia in rural and urban areas are preserved for sports purposes and progressively more existing open spaces are made available for sports and physical education activities.

(iii) *Nutrition.*—The need for improving the level of nutrition of the population at large is already recognised. Efforts should be made to ensure that the diet available to sportsmen and women has the nutritional value necessary to meet the specific requirements of different games and sports in which they participate.

(iv) *Identification of Talent.*—Those concerned with the promotion of sports should make all efforts to identify sports talent at a young age and to nurture it so as to realise its full potential.

(v) *Sports and Physical Education in Educational Institutions.*—Sports and physical education should be made an integral part of the curriculum as a regular subject in schools and other similar educational institutions. A great deal of emphasis should be laid on participation in sports activities also in universities, colleges and other institutions awarding degrees and diplomas.

(vi) *Sports Institutions.*—Steps should be taken to establish institutions such as sports universities, colleges, schools and hostels which lay special emphasis on identifying, nurturing and developing sports talent to its full potential. Normal education has to be an integral part of the curriculum of these insutitions besides their special emphasis on sports and physical education.

(vii) *Incentives.*—Adequate incentives should be provided to those who excel in spots.

(viii) *Special consideration for Employment.*—Special consideration should be given to those who excel in sports in the matter of employment, including self-employment.

(ix) *Voluntary efforts.*—Voluntary effort has to play an important role in promotion of sports both in respect of competitive sports and mass participation in sports activities. It is necessary, therefore, that cooperation of voluntary bodies such as the Indian Olympic Association, the national sports federations, sports clubs and other is enlisted in this endeavour.

(x) *International Competitions.*—The Indian Olympic Association and the national sports federations have a special responsibility with regard to competitive sports. They should present a unified and cohesive image in keeping with the dignity of the nation. Their responsibility is even greater where participation of national teams in international competitions is involved. Such federations should, therefore, be encouraged to regularly hold national competitions and implement effective plans for the preparation of national teams for participation in international competitions and ensure proper selection, physical fitness and coaching of players for this purpose. They should also resist any change in the rules of a game at the international level that seeks to change the original form of the game to the detriment of sporting ability or style of any particular nation or group of nations.

(xi) *International Exposure.*—National teams should be sent abroad to take part in international competitions only when, by physical conditioning, coaching and practice, they have attached standards required for such competitions. Diplomatic priorities of the country should be kept in view when considering international participation abroad or organisation of international events within the country.

(xii) *Priority in Competitive Sports.*—While encouraging competitive sports, priority should be accorded to :

(a) sports disciplines recognised for the Olympics, the Asian Games and the Commonwealth Games; and

(b) those internationally recognised games for which a world federation exists and which, like chess, are widely played in India.

(xiii) *Appropriate Equipment.*—Every effort should be made to promote the sports goods industry in the country so that it is able to produce and make available equipment of internationally accepted standards at reasonable cost for use in sports. Until such time as the indigenous sports goods industry is able to do so, equipment of approapriate international standards should be made available for sports competitions, requiring such equipment, by importing it free of customs duty.

(xiv) *Promotion of Sports and Physical Education by Non-Governmental Institutions.*—Government alone cannot promote and develop sports and physical education on the scale required. Active participation and support from non-governmental institutions, whether public or private, in the matter of finance. infrastructure and organisation should be encouraged.

(xv) *Research and Development.*—Research and development in the field of sports and physical education should be actively encouraged both in the private and public sectors. In this context, special attention needs to be paid to the development of sports sciences in the country.

(xvi) *Employment of Mass Media.*—The mass media should be effectively employed in spreading and sustaining sports consciousness in the country.

3. The implementation of this sports policy will need substantial additional financial outlays by the Central and States Governments. Investment in the promotion of sports and physical education, being investment in health, fitness, productivity and social well-being of the people, is really for upgradation of our human resources for development. Such investment in sports and physical education should, therefore, be adequately increased.

4. The Government of India will review alongwith the State Governments, every five years, the progress made in the implemen.ation of this national policy and suggest further course of action as may be necessary as a result of such review.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations.

S. K. CHATURVEDI, Jt. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

DEPARTMENT OF PETROLEUM

New Delhi, the 28th September 1984

CORRIGENDUM

SUBJECT : *Grant of Petroleum Exploration Licence for Offshore North East Coast Extension of Mahanadi operation, Bay exploration Project, Oil India Ltd. (area measuring 16,200 sq. kms).*

No. O-12012|33|83-Prod—Part (e) of Order No. O-12012|33|83-Prod dated 4-9-1984 may please be substituted as under:

"(a) The Oil India Limited have deposited a sum of Rs. 1,29,600|- as security deposit as required by rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959".

By order and in the name of the President of India.

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

New Delhi, the 8th October 1984

ORDER

SUBJECT : *Grant of Petroleum Exploration Licence for B. 178 structure area measuring 32.67 Sq. km to ONGC (offshore).*

No. O-12012|17|84-ONGD-IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grant to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four year from 27-3-84 for BH. 178 structure measuring 32.67 Sq. km (offshore) to ONGC the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence in subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The exploration Licence should be in respect of Petroleum—

(b) If any mincrals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged :—

(i) Rs. 61|- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showng the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the from given in schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000|- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square Kilometer or part thereof covered by the licence

(i) Rs. 4|- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20|- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100|- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200|- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300|-for the first and second year of renewal

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's not in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and|or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and|or Government as may be determined in case of demage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the from applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling|exploration operations|survey, to Ministry of Defence|Navel Headquarters in the usual manner.

SCHEDULE 'A'

Details of Geographical co-ordinates of B—178 Structure

Point	Longitude	Latitude
'A.'	72° 10′ 25·42″	19° 3′ 34·97″
'B.'	72° 10′ 50·85″	19° 1′ 39·47″
'C.'	72° 7′ 49·49″	18° 56′ 58.72″
'D.'	72° 6′ 24·75″	18° 58′ 1.28″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof,

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A.—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. —Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	No. of Metic Tonnes obtained less columns 2 & 3	Remarks
1	2	3	4	5

C.—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 & 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order in the name of the President of India.

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

The 8th October 1984

SUBJECT : *Grant of Petroleum Exploration Licence for Ratnagiri R-18 Structure measuring 10 Sq. kms. (offshore).*

No. 0-12012|30|84-ONGD4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to ONGC to Prospect for Petroleum from 23-2-1983 to 11-3-83 "Ratnagiri R-18 Structure measuring 10 Sq. kms (offshore) the particulars of which are given in schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars there of.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61|- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts officer. Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4|- for the first year of the licence;
(ii) Rs. 20|- for the second year of the licence;
(iii) Rs. 100|- for third year of the licence.
(iv) Rs. 200|-for the fourth year of the licence;
(v) Rs. 300|- for the first and second year of renewal.

(f) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than to month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959

(g) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a fully report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of st the hazard of fire under sea bed and|or on the sur-Government.

(h) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and|or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and|or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(i) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(j) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(k) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling|exploration operations|survey, to Ministry of Defence|Navel Headquarters in the usual manner.

SCHEDULE 'A'

Geographical Coordinates of the R-18 Structure measuring 10 Sq. kms Offshore).

	LONGITUDE	LATITUDE
A.	72° 52′ 35.24″	17° 7′ 52″
B.	72° 54′ 20·14″	17° 7′ 52″
C.	72° 54′ 20.14″	17° 6′ 12″
D.	72° 52′ 35.24″	17° 6′ 12″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for
Area
Month and Year

A Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir.	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir.	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained.	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri——————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order in the name of the President of India.

(Signature)

P. K. RAJAGOPALAN
Desk Officer

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 21st September 1984

No. Hindi|Samiti|83|38|5.—In continuation of Ministry of Railway's (Railway Board's) resolution of even number dated 14-8-84 S|Shri Shrikant Verma, M. P. (Rajya Sabha), 4 Safdarjang Lane, New Delhi and Arabinda Ghosh, M.P. (Rajya Sabha), 99, North Avenue, New Delhi are hereby nominated in Railway Hindi Salahkar Samiti, as representatives of Parliamentary Committee on Official Languages in place of S|Shri Yogendra Sharma and Ganapat Hiralal Bhagat, ex-members of Railway Hindi Salahkar Samiti.

With reference to para 2 of the above resolution, Shri Prabhat Shastri, General Secretary, Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad is hereby nominated as non official member of Railway Hindi Salahkar Samiti in place of Smt. Veena Duggal.

Shri Yogendra Sharma, ex M.P., B-16, Patrakar Colony, Kankad Bang, Patna is hereby nominated as non-official member of Railway Hindi Salahakar Samiti in place of Shri Rajendra Mathur, Editor, Nav Bharat Times, New Delhi, (appearing at S. No. 31 of this Ministry's resolution of even number dated 3-10-83) who on account of his pre-occupations has expressed his inability to continue his membership.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts and Ministries and Departments of Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJAY JOHRI
Secy. Railway Board
Ex-officio Jt. Secy. to the
Government of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984